

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/सी-37 पार्ट- 1/2019/

दिनांक:-

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी(नियम)/2013-II दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए, क्षमा देवी, नर्स-2 जिन्होंने 18 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

| क्र. सं. | कर्मचारी का नाम व पद | सम्बन्धित अधिकारी | प्रथम नियुक्ति तिथि | दिनांक व पूर्ण सेवा अवधि | देय पे बेन्ड/ वर्तमान में प्राप्त पे मैट्रिक्स लेवल | देय पे ग्रेड/ देय पे मैट्रिक्स लेवल |
|----------|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | श्रीमती क्षमा देवी, नर्स-2 | जयपुर | 07.12.98 | 07.12.16 18 वर्ष | लेबल-12 | लेबल-13 |

नोट:- उक्त कर्मियों में यदि किसी कार्मिक के दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी सन्तान हुई है तो नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

sd

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एसीपी/सी-37/ पार्ट-1 /2019/941

दिनांक:- 8/7/19

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अधीक्षक, जनाना अस्पताल, जयपुर
- 2 सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3 प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 4 आदेश/निजी पत्रावली।

sd

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर